

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 68/2020

निर्णय दिनांक 9.9.20

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री गैन्दीलाल जाति खंगार निवासी ग्राम निमोडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 हाल निवासी मकान नं. 50/24 गली 17 नई बस्ती आनन्द पर्वत करोल बाग एस.ओ सेन्टल दिल्ली।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।

प्रार्थी ग्राम निमोडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 हाल निवासी मकान नं. 50/24 गली 17 नई बस्ती आनन्द पर्वत करोल बाग एस.ओ सेन्टल दिल्ली में खातेदार काश्तकार है जिनके आराजी खाता संख्या 160 के खसरा नंबर 133 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 148 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 149/865 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 150 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 151 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 152/866 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 831/131 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 833/132 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 836/135 रकबा 0.30 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 1.40 है0, भूमि वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का रामनिवास तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी उक्त खातेदार भूमि की पत्थर गढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है, प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया जो संलग्न मिसल है वकील प्रार्थिया को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खा
संख्या 160 के खसरा नंबर 133 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 148 रकबा 0.
है0, खसरा नंबर 149/865 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 150 रकबा 0.17 है
खसरा नंबर 151 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 152/866 रकबा 0.05 है
खसरा नंबर 831/131 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 833/132 रकबा 0.12 है
खसरा नंबर 836/135 रकबा 0.30 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 1.40 है
भूमि वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का रामनिवास तहसील चाकसू जि
जयपुर में स्थित है की भूमि पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडौसी काश्तक
की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा फसल कटने
बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरग
का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। निर्णय की पात
हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू